<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।</u>

उपस्थितिः– रजनी शुक्ला ————–एच0जे0एस0(उत्तराखण्ड)

प्रकीर्ण वाद संख्या–95 सन् 2022

मनीषा कुमार.....**बनाम.**.....चोलामण्डलम् एम0एस0जनरलइं0कं0लि0 आदि।

1– मनीषा कुमार बालिग पुत्री स्व0 दिनेश मिस्त्री
2– नितिश कुमार बालिग पुत्र स्व0 दिनेश मिस्त्री
3– ह्रतिक कुमार बालिग पुत्र स्व0 दिनेश मिस्त्री
स्थायी निवासीगण ग्राम देवी विगहा, पोस्ट शहर तेलपा
थाना–करपी, जिला अरबल (बिहार)
हाल निवासीगण–मकान नं.–215, निकट शिव मन्दिर
धनबाद–828114 (झारखण्ड)————————————————**प्रार्थीगण**

<u>दिनांक : 20.12.2022</u>

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की माता श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 दिनेश मिस्त्री एवं प्रार्थीगणने संयुक्त रूप से स्व0 दिनेश मिस्त्री, प्रार्थीगण के पिता की दिनांक 30.10.2018 को मोटर दुर्घना में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में प्रतिकरहेतु माननीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर याचिका संख्या 391/2018 दाखिल की थी। प्रार्थीगण की माता याची संख्या 1 श्रीमती सुनीता देवी की दिनांक 04.12.2019 को साक्ष्य देने के कुछ दिन बाद किडनी खराब हो गयी,

जिससे याचिका के विचाराधीन रहते, उनकी दिनांक 22.12.2020 को दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी। माननीय प्रामि अपर जिला जज काशीपुर द्वारा दिनांक 26.06.2021 को प्रार्थीगण को 30,15,510/–रूपये व दिनांक 21.12.2018 से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश विपक्षी संख्या 1 चोलामण्डलम एम0एस0जनरल इं0कं0लि0 को दिया गया। आदेश के अनुसार प्रत्येक याची को 10,04,503/–रूपये दिये जाने थे, जिसमें से 2,04,503/–रूपये नकद एवं बाकी 8,00,000/–रूपये की दस–दस हजार रूपये की 80 बैंक एफ0डी0आर0 बनायी जानी थी। प्रत्येक प्रार्थी/याची को 10,000/–रूपये की प्रत्येक बैंक एफ0डी0आर0 का भुगतान परिपक्व ब्याज सहित प्रतिमाह किया जाना था। विपक्षी संख्या 1 चोलामण्डलम एम0एस0जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 ने निर्णय दिनांक 26.06.2021 के खिलाफ दिनांक 16.08.2021 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक अपील संख्या 161/2021 दाखिल की और बीमा कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2021 के अनुपालन में एम0ए0सी0टी0 उधम सिंह नगर में 17,27,955/–रूपये जमा किये, तब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.12.2021 को प्रार्थीगण के पक्ष में जमा राशि में से 50 प्रतिशत धनराशि 8,63,977/–रूपये रिलीज करने का आदेश पारित किया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माननीय एम0एस0सी0टी0/तृतीय अपर जिला जज, उधम सिंह नगर ने दिनांक 12.01.2022 को प्राधिकरण/एम0ए0सी0टी0 काशीपुर, के निर्णय/आदेश दिनांक 26.06.2021 को आधार बनाकर आदेश पारित करके भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी, रूद्रपुर को यह निर्देश दिया–

याची संख्या 2 मनीष कुमारी को 58,632/–रूपये का भुगतान किया जाना है तथा 2,867/–रूपये की 80 माह की 80 एफ0डी0 आर0 बनायी जान है। याची संख्या 3 नितिश कुमार को 58,632/–रूपये का भुगतान किया जाना है तथा 2,867/–रूपये की 80 माह की 80

एफ0डी0आर0 बनायी जानी है। याची संख्या 4 ह्रतिक कुमार को 58,633/–रूपये का भुगतान किया जाना है तथा 2,867/–रूपये की 80 माह की 80 एफ0डी0आर0 बनायी जानी है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी रूद्रपुर द्वारा तीनों प्रार्थीगण को क्रमशः 58,632/–रूपये, 58,632/–रूपये व 58,633/–रूपये भुगतान किया गया। बैंक द्वारा प्रत्येक प्रार्थी की 80 महिने की 80 महिने 80 एफ0डी0आर0 बनाया जाना सम्भव नहीं था। तब बैंक द्वारा प्रार्थिनी/याचनी मनीषा कुमारी की दिनांक 20.01.2022 को 80 महिने 8 वर्ष की 2,29,350/–रूपये की एक एफ0डी0आर0 बनायी गयी। प्रार्थी/याची नितिश कुमार की दिनांक 20.01.2022 को 80 महिने/8 वर्ष की 2,29,350/–रूपये की एक एफ0डी0आर0 बनायी गयी। प्रार्थी/याची ह्रतिक कुमार की दिनांक 20.01.2022 को 80 महिने/8 वर्ष की 2,29,350/–रूपये की एक एफ0डी0आर0 बनायी गयी। तीनों प्रार्थीगण/याचीगण बालिग है और धनराशि के अभाव में कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से तथा कोई भी व्यवसाय आदि करने से वंचित है। प्रार्थी संख्या 1 मनीषा कुमार विवाह योग्य हो चुकी है। इसके अलावा प्रार्थीगण को माता श्रीमती सुनीता देवी के ईलाज हेतु रिश्तेदारों से 10 लाखरूपये से ज्यादा उधार ली गयी धनराशि को वापस करने के लिए दबाव एवं यातनांए झेलनी पडी है। 4 वर्ष में प्रार्थीगण पालन–पोषण एवं शिक्षा में कई लाख रूपये खर्च कर चुके हैं। प्रार्थीगण के पास जिला अरबल बिहार के गांव में एक जर्जर मकान के अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई अचल–चल सम्पत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में पैरा संख्या 6 में अंकित प्रार्थीगण की तीनों एफ0डी0आर0 का भुगतान परिपक्व तिथि 20.09.2028 से पूर्व प्रार्थीगण के पक्ष में करने का आदेश भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा पैरा संख्या 6 में अंकित तीनों एफ0डी0आर0 का भुगतान परिपक्त तिथि 20.09.2028 से पूर्व प्रार्थीगण के पक्ष में करने का आदेश भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी रूद्रपुर को दिए जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की

गयी।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है।

3. पत्रावली पर सदर मुंसरिम की आख्या इस आशय की दाखिल है, कि..प्रार्थीगण/याचीगण की ओर से प्राधिकरण के ओदश दिनांकित 26.06.2021 व माननयी उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.12.2021, ए0ओ0 नम्बर–161/2021 के अनुपालन में क्रमशः तीन एफ0डी0आर0 संख्या–40728596279, 40728595210 व 40728597002 मु0–2,29,360/–रूपये प्रत्येक के नाम से बनायी गयी थी, जिसकी परिपक्वता तिथि दिनांक 20.09.2028 नियत की गयी है। प्रार्थीगण ने उक्त तीनों एफ0डी0आर0 को धन की नितान्त आवश्यकता बताते हुए समय से पूर्व तोडकर भुगतान किये जाने बाबत याचना की है।

4. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 26.06.2021 में याची संख्या 2 ता 4 / प्रार्थीगण मनीषा कुमारी, याची संख्या 2 नितिश कुमार, याची संख्या 3 ह्रतिक कुमार, उपरोक्त याचीगणों को बालिग मानते हुए, मुआवजा धनराशि मुबलिग 30,13,510/–रूपये में से उपरोक्त प्रत्येक याचीगण /प्रार्थीगण को दो–दो लाख रूपये तत्तकाल प्रदान करने का आदेश करते हुए, मुबलिग 8,00,000/–रूपये को MACAD Scheme के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में दस–दस हजार रूपये की 80 सावधि जमा योजनाओं में निवेशित करने का आदेश किया गया, जिसको प्रतिमाह मैच्योरिटी पर निजी बचत खाते में प्राप्त करने का आदेश किया गया।

प्रत्येक 80 फिक्स डिपॉजिटों की प्रथम एफ0डी0 की धनराशि का भुगतान प्रत्येक माह के पश्चात् दूसरे माह, दूसरे माह के पश्चात् तीसरे माह, इसी क्रम में 80 महीने तक भुगतान करने का आदेश किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रार्थीगण/याचीगण के माता–पिता का देहान्त हो जाने का निष्कर्ष देते हुए, याचीगण को बालिग भी माना है।

इस प्रकार उपरोक्त एफ0डी0आर0 को सम्बन्धित बैंक द्वारा परिपक्वता की तिथि दिनांक 20.09.2028 की गयी है।

प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण जिला धनबाद, झारखण्ड के निवासी है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 मनीषा की शादी तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 नितिश कुमार व ह्रतिक कुमार की पढाई–लिखाई के लिए उपरोक्त धनराशि की आवश्यकता है। याची संख्या 1 श्रीमती सुनीता देवी की दिनांक 04.12.2019 को किडनी पूर्ण रूप से खराब हो जाने के कारण, रिश्तेदारों से ईलाज का पैसा उधार लेने के कारण, उधार की धनराशि अदा करनी है। उपरोक्त आधारों पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत धनराशि को समय पूर्व निर्मुक्त कराने की याचना की गयी है।

5. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत याची संख्या 1 मनीषा कुमारी, याची संख्या 2 नितिश कुमार व याची संख्या 3 ह्रतिक कुमार, स्थायी निवासीगण ग्राम देवी विगहा, पोस्ट शहर तेलपा, थाना–करपी, जिला अरबल (बिहार), हाल निवासीगण–मकान नं.–215, निकट शिव मन्दिर ,धनबाद–828114 (झारखण्ड), बालिग हैं तथा उनके भविष्य की आवश्यकताओं तथा निवास स्थान से सम्बन्धित बैंक की दूरी के दृष्टिगत की यदि प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रत्येक माह झारखण्ड से उत्तराखण्ड तीनों याचीगण दस हजार रूपये की धनराशि को लेने के लिए आएंगे तो एफ0डी0आर0 की धनराशि से अधिक खर्चा उनके आवागमन में, ही लग जाएगा साथ ही उक्त धनराशि यदि समय पर याचीगण की वांछित आवश्कताओं के समय प्रयोग में नहीं आती है तो, मोटर दुर्घटना के तहत अवार्ड की गयी धनराशि का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

6. एतत् उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/याचीगण की याचना को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी, में दिनांक 20.01.2022 को प्रार्थी संख्या 1 मनीषा कुमारी, प्रार्थी संख्या–2 नितिश कुमार व प्रार्थी संख्या–3 ह्रतिक कुमार के नाम बनायी गयी एफ0डी0आर0 संख्या–40728596279, 40728595210 व 40728597002,

प्रत्येक मु0–2,29,360/–रूपये को निर्धारित समयावधि से पूर्व निर्मुक्त किए जाने का पूर्ण कारण व आधार दर्शित है।

7. तद्नुसार प्रार्थीगण/याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–95/2022, दिनांकित 07.09.2022 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–95/2022, दिनांकित 07.09.2022 स्वीकार किया जाता है।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 20.12.2022

(रजनी शुक्ला)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण/
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश,
उधम सिंह नगर।